कार्यकारी आदेश 2025-01
मानव सेवा विभाग को पुनर्गठित करने और मानसिक स्वास्थ्य और पदार्थ इस्तेमाल रोकथाम और पुनर्प्राप्ति के प्रभागों को समेकित करने, व्यवहारिक स्वास्थ्य और पुनर्प्राप्ति के नए प्रभाग बनाने के लिए कार्यकारी आदेश

जबकि, इलिनॉय के संविधान का अनुच्छेद V, सेक्शन 11 राज्यपाल को कार्यकारी आदेश के माध्यम से कार्यों को पुनः सौंपने या कार्यकारी एजेंसियों, जो सीधे उसके प्रति उत्तरदायी हैं, को पुनर्गठित करने के लिए अधिकृत करता है;

जबकि, कार्यकारी पुनर्गठन कार्यान्वयन अधिनियम, 15 ILCS 15/3.2 की धारा 3.2 में प्रावधान है कि "पुनर्गठन" में 'किसी एजेंसी के किसी भाग या उसके कार्यों का उसी एजेंसी के किसी अन्य भाग या उसके कार्यों के साथ समेकन या समन्वय शामिल है;'

जबकि, मानव सेवा विभाग (विभाग) का मानसिक स्वास्थ्य प्रभाग (डीएमएच) और विभाग का पदार्थ उपयोग रोकथाम और पुनर्प्राप्ति प्रभाग (एसयूपीआर) एक कार्यकारी एजेंसी के भीतर प्रभाग हैं जो सीधे राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी हैं और 20 ILCS 1305 *et seq* से प्राप्त अधिकारों, शक्तियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का प्रयोग करते हैं।

जबकि, DMH और SUPR द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले व्यक्तियों में पर्याप्त ओवरलैप है, क्योंकि गंभीर मानसिक बीमारी वाले चार में से एक व्यक्ति में पदार्थ उपयोग विकार भी है, लगभग 50% गलत क्रम में पदार्थ इस्तेमाल करने वाले विकार वाले मरीजों में एक साथ होने वाला मनोरोग विकार है, और लगभग 32% मरीज मनोरोग मरीजों में एक साथ होने वाला पदार्थ उपयोग विकार है;

जबकि, कई इलिनॉय सेवा प्रदाता DMH और SUPR दोनों के उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करते हैं, 61 सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी पदार्थ उपयोग विकार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस भी प्राप्त है, और 17 के पास दोनों मौजूदा प्रभागों से अनुदान है;

जबकि, पदार्थ उपयोग विकारों और मानसिक बीमारियों से उबरना, जिसे परिवर्तन की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करते हैं, आत्मनिर्देशित जीवन जीते हैं, और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, व्यवहारिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक प्राथमिक लक्ष्य है और एकीकृत पदार्थ उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक उपलब्धता से लाभान्वित होगा;

जबकि, DMH और SUPR का एकीकरण दोनों प्रभागों के कर्मचारियों की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा, पहुंच और जवाबदेही में सुधार करेगा, मानसिक बीमारियों और पदार्थ उपयोग विकारों दोनों से पीड़ित इलिनॉय वासियों के लिए नतीजों में सुधार करेगा, प्रदाताओं पर प्रशासनिक बोझ कम करेगा, और अन्य सुधारों के अलावा राज्य संचालित मनोरोग अस्पतालों में पदार्थ उपयोग विकार उपचार को बढ़ाएगा;

जबकि, पूर्वोक्त कारणों से, DMH और SUPR को एक नए एकीकृत प्रभाग में समेकित करना उचित और सबसे अधिक लाभकारी है;

जबकि, DMH और SUPR के एकीकरण के अनुसरण में, दोनों एजेंसियों की पहल और कार्यक्रमों को संरक्षित और बनाए रखा जाएगा; और

जबकि, DMH और SUPR के एकीकरण से उपभोक्ताओं और मरीजों के लिए देखभाल तक पहुंच में सुधार होगा, प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित होंगी, कार्यबल मजबूत होगा, और कर्मचारियों को इलिनॉय निवासियों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होने की अनुमति होगी।

अब, इसलिए, मैं, जे.बी. प्रित्जकर, इलिनॉय राज्य के गवर्नर, इलिनॉय के संविधान के अनुच्छेद V, सेक्शन 11 द्वारा मुझमें निहित कार्यकारी प्राधिकार के अनुसार, निम्नलिखित आदेश देता हूं:

I. कार्यों का समेकन

1 जुलाई, 2025 से, या उसके बाद यथाशीघ्र, DMH और SUPR से संबंधित शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को मानव सेवा विभाग के अंतर्गत व्यवहारिक स्वास्थ्य और पुनर्प्राप्ति प्रभाग नामक एकल इकाई में समेकित कर दिया जाएगा। DMH और SUPR की वैधानिक शक्तियां, कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेदारियां निम्नलिखित और अन्य सभी प्रासंगिक क़ानूनों, साथ ही इसके तहत प्रख्यापित विनियमों से प्राप्त होती हैं, जिनमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

a. पदार्थ उपयोग विकार अधिनियम, 20 ILCS 301 और निम्न;
b. इलिनॉय नागरिक प्रशासनिक संहिता (मानव सेवा विभाग (शराब और मादक द्रव्यों के सेवन) कानून) 20 ILCS 310 और निम्न;
c. मानव सेवा विभाग अधिनियम, 20 ILCS 1305 और निम्न;
d. मानसिक स्वास्थ्य और विकासात्मक विकलांगता प्रशासनिक अधिनियम, 20 ILCS 1705 और निम्न;
e. इलिनॉय नागरिक प्रशासनिक संहिता (मानव सेवा विभाग (मानसिक स्वास्थ्य और विकासात्मक विकलांगता) कानून) 20 ILCS 1710 और निम्न;
f. इलिनॉय लोक सहायता संहिता, 305 ILCS 5 और निम्न*;*
g. मानसिक स्वास्थ्य और विकासात्मक विकलांगता संहिता, 405 ILCS 5 और निम्न;
h. इलिनॉय वाहन संहिता, 625 ILCS 5 और निम्न*;*
i. यौन हिंसक व्यक्ति प्रतिबद्धता अधिनियम, 725 ILCS 207 और निम्न;
j. मानसिक स्वास्थ्य और विकासात्मक विकलांगता गोपनीयता अधिनियम, 740 ILCS 110 और निम्न;
k. एकीकृत सुधार संहिता, 730 ILCS 5 और निम्न;
l. दंड प्रक्रिया संहिता 1963, 725 ILCS 5 और निम्न; तथा
m. इलिनॉय नियंत्रित पदार्थ अधिनियम, 720 ILCS 570 और निम्न।

II. एकीकरण का प्रभाव

a. DMH और SUPR में निहित शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को समेकित किया जाएगा और उन्हें व्यवहारिक स्वास्थ्य और पुनर्प्राप्ति के नए प्रभाग में निहित किया जाएगा। व्यवहारिक स्वास्थ्य और पुनर्प्राप्ति प्रभाग द्वारा ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रयोग में किए गए प्रत्येक कार्य का वैसा ही कानूनी प्रभाव होगा जैसा कि DMH या SUPR द्वारा किए जाने पर होता है।

b. DMH और SUPR के कर्मचारियों को स्थानांतरित कर उन्हें व्यवहारिक स्वास्थ्य और रिकवरी के नए प्रभाग में समेकित किया जाएगा। कार्मिक संहिता के अंतर्गत DMH और SUPR कर्मचारियों की स्थिति और अधिकार एकीकरण से प्रभावित नहीं होंगे।

c. DMH और SUPR से संबंधित शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित सभी पुस्तकें, रिकॉर्ड, कागजात, दस्तावेज, संपत्ति (वास्तविक और व्यक्तिगत), अनुबंध और लंबित व्यवसाय और इस कार्यकारी आदेश द्वारा समेकित, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक या चुंबकीय प्रारूप में सामग्री और आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, व्यवहारिक स्वास्थ्य और पुनर्प्राप्ति के नए प्रभाग को सौंपे जाएंगे।

d. DMH या SUPR के कोई भी नियम, विनियम, दायित्व और अन्य कार्रवाइयां व्यवहारिक स्वास्थ्य और पुनर्प्राप्ति प्रभाग के नियमों, विनियमों, दायित्वों और कार्रवाइयों के रूप में स्थानांतरित की जाएगी और जारी रहेंगी। मानव सेवा विभाग पुनर्गठन के लिए आवश्यकतानुसार किसी भी नियम, विनियम, दायित्व या अन्य कार्यवाही में संशोधन करेगा।

e. इस कार्यकारी आदेश से पूर्व में लगाए गए किसी भी नागरिक या आपराधिक दंड से उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रत्येक व्यक्ति या संस्था समान दायित्वों और कर्तव्यों तथा उनसे उत्पन्न होने वाले किसी भी दंड, नागरिक या आपराधिक, के अधीन होगी, तथा ऐसी शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले समान अधिकार, जैसा कि DMH या SUPR या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किया गया था, उसके पास भी होंगे।

f. जब भी किसी व्यक्ति द्वारा इस कार्यकारी आदेश द्वारा समेकित उनके किसी भी कार्य के संबंध में DMH या SUPR को या उनके लिए रिपोर्ट या नोटिस बनाने या दिए जाने या कागजात या दस्तावेज प्रस्तुत करने या तामील करने की आवश्यकता होगी, तो उन्हें नए व्यवहारिक स्वास्थ्य और पुनर्प्राप्ति प्रभाग को या उनके लिए उसी तरीके से बनाया, दिया, प्रस्तुत या तामील किया जाएगा।

g. यह कार्यकारी आदेश, इस कार्यकारी आदेश के प्रभावी होने से पहले DMH या SUPR के संबंध में किए गए, अनुसमर्थित या रद्द किए गए किसी भी कार्य या घटित या स्थापित किसी भी अधिकार या किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा; ऐसी कार्रवाइयों या कार्यवाहियों का बचाव, अभियोजन और सुचारु व्यवहारिक स्वास्थ्य और पुनर्प्राप्ति प्रभाग द्वारा रखा जा सकता है।

III. सेविंग क्लॉज़

यह कार्यकारी आदेश किसी भी अनुबंध, समझौते या सामूहिक सौदेबाजी समझौते का उल्लंघन नहीं करता है, और इसे उल्लंघन करने के रूप में नहीं समझा जाएगा।

IV. पूर्व कार्यकारी आदेश

यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्ववर्ती कार्यकारी आदेश के किसी भी विपरीत प्रावधान का स्थान लेगा।

V. गंभीरता

यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसके अनुप्रयोग को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता इस कार्यकारी आदेश के किसी अन्य प्रावधान या अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी, जिसे अवैध प्रावधान या अनुप्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को सेवा योग्य घोषित किया जाता है।

VI. फाइलिंग और डिलीवरी

यह कार्यकारी आदेश राज्य के सचिव के साथ दायर किया जाएगा। इस कार्यकारी आदेश की एक प्रति सीनेट के सचिव और प्रतिनिधि सभा के क्लर्क को दी जाएगी तथा संशोधन संबंधी कानून तैयार करने के लिए विधान रिफरेंस ब्यूरो को भी दी जाएगी।

VII. प्रभावी तिथि

बशर्ते कि महासभा का कोई भी सदन अपने निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से इस कार्यकारी आदेश को अस्वीकृत न करे, यह कार्यकारी आदेश महासभा को सौंपे जाने के 60 दिन बाद प्रभावी होगा।

जेबी प्रित्जकर गवर्नर

राज्यपाल द्वारा जारी: 14 फ़रवरी, 2025
राज्य सचिव के समक्ष दायर: 14 फ़रवरी, 2025